राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 352/2025

सुनील कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. तहसीलदार, तहसील दांता रामगढ़, जिला सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 16.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल रैवासा, दांतारामगढ़ जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 21.12.2022 को कार्यग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 30.10.1993 के विपरीत जाकर संभागीय आयुक्त की बिना अनुमति के स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि—विरूद्ध एवं अनुचित है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 646/2024 महिपाल सिंह बनाम राजस्व मंडल में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 एवं अपील संख्या 1674/2024 बृजेन्द्र सिंह बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पटवारी,

पटवार मंडल रैवासा, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में यथावत् पदस्थापित रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल रैवासा जिला सीकर में दिनांक 21.11.2022 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में ही प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। किसी भी कार्मिक को किसी एक स्थान विशेष पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को लाभ प्रदान करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य